न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 02/2022

श्री बद्रीलाल पुत्र लालाराम बैरवा निवासी अम्बेडकर हाउस नयागांव खरेडा पो0 खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह जिला–टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 6.4.2022**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2021 प्रेषित/प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र दिनाक 19.01.2022 से प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को प्रार्थना पत्र अन्तरित करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1 खरेडा प्रार्थी बद्रीलाल बैरवा द्वारा दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम खरेड़ा मे व दिनांक 8.12.2021 को शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष प्रेषित परिवाद अन्तर्गत तरमीन दुरूस्ती रकबा बरारी की अर्जी पर श्रीमान द्वारा अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई है? उक्तांकित दिनांकों को प्रेषित परिवादों की मय प्रमाणित प्रतिया, तथ्यात्मक रिर्पोट मय कार्यवाही सम्पूर्ण पत्रावली।

2 प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.12.2021 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक के समक्ष प्रेषित परिवाद अर्न्तगत तरमीन दुरूस्ती तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत की अर्जी जरिये रजिस्ट्रड डाक पर श्रीमान जी के द्वारा अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई है? उक्त दिनांक के परिवाद की प्रमाणित प्रति मय कार्यवाही मय सम्पूर्ण पत्रावली।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला–टोंक को पत्र किमांक 298 दिनांक 23–02–2022 व 376 दिनांक 21.03.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को [illegible] तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदा[illegible]सिंह जिला–टोंक द्वारा पत्र कमांकः भू.अ./22/1809 दि[illegible] प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही बिन्दु संख्या 1 [illegible] सूचना उनके पत्र कमांक 1791 दिनांक [illegible] 2022 द्वारा भिजवा[illegible] और बिन्दु संख्या 2 के संबं[illegible] उनके पत्र कमांक 1791 दिनांक 22.3.2022 से अपीला[illegible] को सूचित किया ग[illegible] कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

दुरस्ती हेतु आवेदक सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है, जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला–टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested